

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—1162 / 2013

संस्थित दिनांक—13.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखंड
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

राजेन्द्र पड़वार वल्द तिलकदास, उम्र—34 वर्ष,
 निवासी जानपुर (बीचटोला), थाना मलाजखंड,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—15 / 12 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—02.12.2013 को समय करीब 6:00 बजे, स्थान लामूदास के घर के सामने मेन रोड ग्राम जानपुर (बीचटोला) आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत फरियादी सुदामादास को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत सुदामादास को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर स्वैच्छया उपहति कारित किया और संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—02.12.2013 को समय करीब 6:00 बजे, स्थान ग्राम जानपुर (बीजाटोला) आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत जब फरियादी सुदामादास अपने खेत पर मिसाई का कार्य कर रहा था तो आरोपी आया और उसे गंदी—गंदी गालियां देने लगा, फरियादी ने आरोपी गाली देने से मना किया गया और पकड़कर उसके घर छोड़ दिया। जब फरियादी वापस आने लगा तो आरोपी अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी के सिर पर मारा तथा जान से खत्म करने की धमकी दिया। उक्त घटना में फरियादी/आहत सुदामादास को सिर पर चोट आयी और खून निकलने लगा। उक्त घटना समय गांव के लोगों द्वारा बीच—बचाव किया गया। आरोपी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—168 / 2013 अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 506 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम

सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी सुदामादास ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 506 (भाग-दो) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा-324 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-02.12.2013 को समय करीब 6:00 बजे, स्थान लामूदास के घर के सामने मेन रोड ग्राम जानपुर (बीचटोला) आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत आहत सुदामादास को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर स्वैच्छया उपहति कारित ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत सुदामादास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष शम के 5:00 बजे उसके खलियान की है। घटना समय आरोपी शराब पीकर आया और उसे गाली-गलौच कर रहा था। उसने, उसे पकड़कर उसके घर छोड़ दिया था। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में प्रदर्श पी-1 दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल मोहगांव में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि जब वह आरोपी को छोड़कर वापस जा रहा था तो आरोपी ने उसे अपने घर से कुल्हाड़ी लाकर उसके सिर पर मारा था। साक्षी ने आरोपी द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारने वाली बात पुलिस को प्रदर्श पी-1 बताये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— अनुसंधाकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार विजयवार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—02.12.2013 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी सुदामादास की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक—168/13, धारा—294, 323, 324 506 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत सुदामादास को चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल मोहगांव भेजा था। उक्त अपराध की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक—10.12.2013 को प्रार्थी सुदामादास की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी सुदामादास, साक्षी धरमदास, लामूदास, विजयदास के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—4 अनुसार एक लोहे की कुल्हाड़ी साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

7— फरियादी/आहत सुदामादास (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अनुसंधाकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार विजयवार (अ.सा.2) ने मात्र अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। मामले की प्रकृति को देखते हुये अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर मामला प्रमाणित नहीं हो सकता है। एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी आहत सुदामादास (अ.सा.1) ने स्वयं आहत होते हुये भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा कथित लोहे की कुल्हाड़ी के रूप में खतरनाक साधन का उपयोग कर कथित मारपीट किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध कथित धारदार साधन के द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने आहत सुदामादास को खतरनाक साधन के रूप में लोहे की कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित। अतएव आरोपी को धारा—324 भा.द.वि. के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)